न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 166/2025 विविध
निर्णय दिनांक :– 19.06.2025
पीठसीन अधिकारी :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी फागी * जिला जयपुर

उनवान

1. अभिषेक जोशी पुत्र ओमप्रकाश
2. अरूणा देवी पत्नि ओमप्रकाश
3. प्रीति शर्मा पुत्री ओमप्रकाश
4. वीरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र ओमप्रकाश
5. अशोक कुमार जोशी पुत्र सुरेशचन्द उर्फ सुरेशचन्द्र
6. कमलेश कुमार शर्मा पुत्र सुरेशचन्द उर्फ सुरेशचन्द्र
7. रामबाबू शर्मा पुत्र सुरेशचन्द उर्फ सुरेशचन्द्र
8. राजेश पुत्र मदनमोहन
9. विनोद पुत्र मदनमोहन
10. सत्यप्रकाश पुत्र मदनमोहन

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. दामोदर पुत्र गंगाराम जाति माली निवासी रामपुरा रेल्वे तहसील फागी जिला जयपुर राज०
2. गोविन्दनारायण पुत्र रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री विनय कुमार जैन वकील प्रार्थीगण
श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर वकील अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी करवाने बाबत्

निर्णय दिनांक :– 19.06.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या आराजी खाता सं. 597 खसरा नम्बर 4448, 4449, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457 कुल किता 9 कुल रकबा 1.8461 है० भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण पटवार हल्का फागी दक्षिण भू.अभि.नि.क्षेत्र फागी तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी फागी जयपुर

आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है जिस पर प्रार्थीगण बुजुर्गो के समय से शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जिसका अप्रार्थीगण से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वे प्रार्थीगण की आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीगण सीधे सादे व्यक्ति है एवं खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे है एवं कानून में अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं। जबकि अप्रार्थीगण झगडालू है तथा वे संख्याबल एवं भुजबल में अधिक हैं। जिन्होने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जिसका उद्देश्य डरा धमकाकर जमीनें ऐंठना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतू अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से आये दिन लडाई झगडा कर प्रार्थीगण को हेरान परेशान करते रहते है। अप्रार्थीगण की हरकतो से परेशान होकर प्रार्थीगण ने अपनी आराजी भूमि का दिनांक 26.05.2025 को सीमाज्ञान भी करवा लिया परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर उसको हडपना चाहते है। दिनांक 02–06–2025 को जब प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की देखभाल करने विवादग्रस्त आराजी पर आये तो अप्रार्थीगण एवं कुछ अन्य व्यक्ति एक राय होकर प्रार्थीगण की आराजी पर आये एवं प्राथीगण के कब्जें काश्त की आराजी पर अतिक्रमण करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थीगण को अपने हक हकूकों की रक्षार्थ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण सीधे सादे व्यक्ति है जो उक्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जब कि प्रार्थीगण की आराजी से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। परन्तु वह प्रार्थीगण को नाजायज हैरान–परेशान करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थीगण सीधे सादे व्यक्ति है जो उक्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं वे अपनी आराजी की सुरक्षा करना चाहते है। उक्त आराजी की पत्थरगढी होने से प्रार्थीगण की उक्त भूमि सुरक्षित हो जावेगी एवं अतिक्रमण होने का डर नहीं होगा। उक्त प्रकरण के निस्तारण का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर उपस्थित हुए तथा इकबालिया जवाब पेश किया। तथा पत्थरगढ़ी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा वकील अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति प्रकट की।

4. बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम फागी दक्षिण के खाता सं0 597 के आराजी ख0नं0 4448, 4449, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456,

लगातार.........................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(3)

4457 में प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे संलग्न सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 26.05.2025 को करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि मे अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता नं. 597 खसरा नम्बर 4448, 4449, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457 कुल किता 9 कुल रकबा 1.8461 है० भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात के सभी पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/6/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर,

सत्यमेव जयते